छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 130/2008</u>

1. **वन मण्डलाधिकारी,** - *अपीलार्थी*
कवर्धा वनमण्डल,
कवर्धा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *प्रथम अपीलीय अधिकारी* - *प्रति अपीलार्थी*
एवं वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के सूचना का अधिकार के आवेदन के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी/वन सरंक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2007 के द्वारा वन मण्डलाधिकारी के तर्क को अस्वीकार करते हुये अपीलार्थी द्वारा माँगी गई जानकारी 30 दिवस के अन्दर प्रदान करने के निर्देश दिये गये, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वन मण्डलाधिकारी ने आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी ने आवेदन प्राप्त होने पर धारा-7(9) के अन्तर्गत आवेदक को यह निर्देश दिये कि कार्यालयीन समय पर आकर निरीक्षण करे और आवश्यकतानुसार अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त करे, इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि निरीक्षण नही करना है और उन्हें जानकारी दी जावे । वन मण्डलाधिकारी ने आयोग के समक्ष अपील में यह तर्क प्रस्तुत किया कि जानकारी तैयार करने में काफी समय लगने की संभावना थी और उस समय अन्य कार्य भी चल रहा था, अतः उनका छुपाने का प्रयास नही था, बल्कि निरीक्षण के लिए लिखा गया था तथा प्रकरण में जो जानकारी माँगी गई है, उसमें बिन्दु कमांक-1 में जनवरी, 2007 से जारी किये गये धनादेश का विवरण माँगा गया है, उसे दिये जाने में कोई आपत्ति नही होती है, केवल बिन्दु कमांक-2 में वर्ष 2004 से अब तक विभिन्न कय की गई सामाग्री की अत्यन्त विस्तृत जानकारी माँगी गई है, अतः बिन्दु कमांक-2 के बारे में अपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है, अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी

के तर्क बिन्दु कमांक-1 में स्वीकार किये जाने योग्य है, किन्तु बिन्दु कमांक-2 में प्रथम अपीलीय अधिकारी का तर्क अपने स्थान पर सही नही है । अत: अपीलार्थी की उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन के बिन्दु कमांक-1 की जानकारी यदि अभी-तक नही दी गई है तो 15 दिवस में नि:शुल्क दी जावे और बिन्दु कमांक-2 के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को इतनी विस्तृत जानकारी धारा-7(9) के अन्तर्गत दी जाने की आवश्यकता नही है, यदि अपीलार्थी चाहे तो उन्हें 15 दिवस में उक्त जानकारी का नि:शुल्क अवलोकन करा दिया जावे ।

2/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त